न्यायालय कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागाँव (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/ 353 /एस0डब्ल्यू/2020 कोण्डागांव,दिनांक 29.07.2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1537/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक22.07.2020 को जारी आदेश द्वारा नगरीय क्षेत्र कोण्डागांव/फरसगांव/केशकाल तथा ग्राम पंचायत माकड़ी के सीमा क्षेत्र अन्तर्गत संक्रमण के बचाव तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 24.07.2020 मध्य रात्रि 12.00 बजे से 31.07.2020 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए उक्त आदेश द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की समयावधि में वृद्धि करते हुए दिनांक 31.07.2020 से 06.08.2020 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक निम्नलिखित प्रतिबंधो के साथ लॉक डाउन किया जाता है-

1. प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयो का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहने तक नहीं किया जावेगा किन्तु कोरोना वायरस के संकमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालयों/ अधिकारी- कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं जैसे- पुलिस,स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पीट्ल , फायर ब्रिगेड, साफ- सफाई एवं स्वच्छता ,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेय जल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत अनुसार संचालित रहेगी। अधिकारी कर्मचारी को घर से शासकीय कार्य सम्पादित करने एवं सदैव मोबाईल /टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से सम्पर्क में बने रहने तथा अत्यन्त आवश्यक कार्य में कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावें। आवश्यक नस्तियों, डाक का लाने ले जाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किया जावें।

2. प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में सब्जी, फल, डेयरी, पनीर, किराना दुकान का संचालन समय पूर्वान्हः 7.00 बजे से अपरान्हः 2.00 बजे तक करने की अनुमति होगी। सबंधित दुकान में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन करने पर संबंधित दुकान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

3. **राखियों की दुकान, मिठाईयों की दुकान, सेवइयों की दुकान का संचालन दिनांक** 30.07.2020 **से** 03.08.2020 **तक समय पूर्वान्हः** 7.00

Scanned with CamScanner

बजे से 2.00 बजे तक किया जावेगा तथा दिनांक 04.08.2020 से 06.08.2020 तक उक्त दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

4. प्रतिबंधित क्षेत्र में घर-घर जाकर दूध बेचने वाले विक्रेताओं को समय प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक तथा शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे तक छूट रहेगी।

5. ठेले पर घूम-घूम कर सब्जी बेचने की अनुमति पूर्वान्हः 7.00 बजे से अपरान्हः 2.00 बजे तक रहेगी।

6. प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित ठेले, गुमटी का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा एवं होटल सोशल डिस्टेसिंग के साथ टेक-अवे/होम डिलीवरी सुविधा के माध्यम से ही संचालित किये जा सकेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय प्रतिबंधात्मक आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

8. मटन,मुर्गा, मछली एवं अण्डे की दुकानों को समय पूर्वान्हः 7.00 बजे से 2.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।

9. खाद्य बीज , कीटनाशक की दुकान को समय पूर्वान्हः 7.00 बजे से 2.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी ।

10. **पशुचारा विक्रय करने की अनुमति प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे तक तथा अपरान्हः 2.00 बजे से 3.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी ।**

11. पालतू पशु तथा ऐक्वीरियम की दुकान प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 6.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। (केवल उनके द्वारा रखे गये पशुओं को आहार खिलाने हेतु खोलने की अनुमति होगी। किसी प्रकार से विक्रय करने की अनुमति नहीं है।)

12. जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसे, टैक्सी ,ऑटो रिक्शा, बसे, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

13. प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होंगी।

Scanned with CamScanner

14. जिलें के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिए अन्तर्जिला/अन्तर्राजीय आवगमन हेतु ई–पास अनिवार्य होगा।

15. होटल रेस्टोरेन्ट, हास्पिटिलिटी सेवाएं (सैलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, कल्ब बार,रिसार्ट, लॉज, कैफे) आदि बंद रहेंगी।

16. समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम गार्डन एवं खेल परिसर में सम्पूर्ण गतिविधियाॅ प्रतिबंधित रहेंगी।

17. सभी सिनेमा हॉल,जिम,स्वीमिंग पूल,थिटेयर तथा ऑडीटोरियम, सभा गृह एवं सभी प्रकार के मेले के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

18. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कूद/मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक गतिविधियो एवं अन्य समाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

19. नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले फैक्ट्री/निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी–

क– यथासंभव श्रमिको की रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अदंर करनी होगी।

ख– आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी।

ग– संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत् रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

घ– इन इकाईयों से धनात्मक मरीजो की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाली समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

20. सभी धार्मिक स्थल (मंदिर/ मस्जिद/चर्च/गुरूद्वारा), सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

21. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारंटाइन की निगरानी में रखे गये है, उन्हे यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेगे।

22. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा – निर्देशों का अनुपालन

Scanned with CamScanner

करेंगे। किसी भी स्थिति में 01 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपना वैद्य पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

23. फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधित से छूट प्रदान किया जाता है-

क. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन।

ख. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाऐ।

ग. मास्क एवं सेनेटाईजर, दवाईया /एटीएम/एटीएम वाहन, एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य अवाश्यक वस्तुए /सेवाए जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाला वाहन।

घ. अग्निशमन सेवाए।

ङ. ए0टी0एम

च. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाए/आई0टी0 आधारित सेवाए एवं सर्विसेस दुकाने।

छ. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल0पी0जी0/ सी0एन0जी0 के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियॉ।

ज. पोस्टल सेवाएं।

झ. होम गार्ड तथा बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन ।

ट. सुरक्षा कार्य में लगे सभी एजेन्सियों (निजी एजेन्सियों सहित)

ठ. न्यूनतम उर्पाजन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेसिया इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।

ण. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

24. सभी बैंको का संचालन पूर्ववत् सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जायेगा।

क बैंक प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

ख. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पॉच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें।

Scanned with CamScanner

ग बैक प्रबंधन बैक के बाहर खड़े ग्राहकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने हेतु सम्पूर्ण रूप से जवाब देह होगा।

घ. बैक प्रबंधन ए0टी0एम0 का सेनिटाइजेशन प्रतिदिन कराएगें।

25. उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। उपर्युक्त वर्णित आदेश में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। जिलें में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

"यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेंगा।"

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव

क्रमांक/3530/A/एस0डब्ल्यू0/2020 कोण्डागांव,दिनांक 29.07.2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्ति मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,अटल नगर, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. सचिव,छ0ग0 शासन,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर, नवा रायपुर।
4. आयुक्त,बस्तर संभाग जगदलपुर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव।
9. सहायक संचालक, जनसमपर्क कोण्डागांव को गहन प्रकाशन हेतु।
10. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

Scanned with CamScanner

11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, फरसगांव, केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोण्डागांव,केशकाल, फरसगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव /नगर पंचायत केशकाल/फरसगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव

Scanned with CamScanner